6/132 12124/16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

71

उत्तर प्रदेश UTTAR P

B 317794

रामशंकर

-1-

विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा

प्रतिफल की धनराशि	–	रू0 22,10,216/–
अग्रिम धनराशि	–	रू0 22,05,216/–
बकाया धनराशि	–	रू0 5,000/–
मालियत	–	रू0 6,97,500/–
अदा किये गये जनरल स्टैम्प	–	रू0 1,54,900/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर

रामशंकर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 317791

-2-

3. ग्राम — बरौना

4. सम्पत्ति का विवरण— भूमि खसरा संख्या 139 रकबा 0.083 हेक्टेअर, खसरा संख्या 140रकबा 0.190 हेक्टेअर, खसरा संख्या 141 रकबा 0.057 हेक्टेअर कुल रकबा 0.310 है0 का पूर्ण भाग स्थित ग्राम— वरौना, परगना— बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 317792

-3-

5. मापन की ईकाइ — हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.310 हेक्टअर

7. सड़क की स्थिति — सुल्तानपुर रोड से 200 मी0 से अधिक दूर

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

9. पेडों की स्थिति — कोई पेड़ नहीं है।

रामशंकर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 317793

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-4-

10. बोरिंग / कुआं अन्य— कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं0 139</u>

उत्तर	:	खसरा नं0 135, 138
दक्षिण	:	खसरा नं0 140
पूरब	:	खसरा नं0 145
पश्चिम	:	खसरा नं0 140

रामचन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हज़ार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

849034

-5-

चौहद्दी खसरा नं0 140स.

उत्तर	:	खसरा नं0 139
दक्षिण	:	खसरा नं0 151, 148
पूरब	:	खसरा नं0 147
पश्चिम	:	खसरा नं0 156, 157

रामचन्द्र

नि0 प्रकाश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 104978

चौहद्दी खसरा नं0 141

उत्तर	:	खसरा नं0 145
दक्षिण	:	खसरा नं0 140
पूरब	:	खसरा नं0 147
पश्चिम	:	खसरा नं0 140

रामशंकर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 104979

प्रथम पक्ष की संख्या–1 : द्वितीय पक्ष की संख्या–1

प्रथम पक्ष का विवरण	:	द्वितीय पक्ष का विवरण
रामशंकर पुत्र भगवानदीन निवासी– बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 104980

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र रामशंकर पुत्र भगवानदीन निवासी– ब्रौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है)

रामशंकर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 104983

एवम्

गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है) के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 104981

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या 139 रकबा 0.063 हेक्टेअर, खसरा संख्या 140सरकबा 0.190 हेक्टेअर, खसरा संख्या 141 रकबा 0.057 हेक्टेअर कुल रकबा 0.310 हे0 का पूर्ण भाग स्थित ग्राम– बरौना, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी संख्या 00594 के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों मे बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 104982

प्रथम पक्ष अपना सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को इस विक्रय अनुबन्ध पत्र द्वारा विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा प्रथम पक्ष ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 180851

ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नही लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य मे निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अनुबन्ध

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 180847

-13-

करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 22,10,216/- (रू0 बाईस लाख दस हजार दो सौ सोलह मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है जिसमे से बतौर अग्रिम धनराशि रू0 22,05,216/- (रू0 बाईस लाख पाँच हजार दो सौ सोलह मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिसका उपरोक्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची के अनुसार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 180848

भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यही स्वीकार करता है, तथा प्रथम पक्ष सक्षम अधिकारी से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करवा कर द्वितीय पक्ष के पक्ष में संक्रमणीय भूमिधर घोषित होने के बाद सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति के द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीला हवाली या इन्कार नहीं करेगा तथा शेष बकाया धनराशि रू0 5,000/-(रू0 पाँच हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके विक्रय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 180849

विक्रय अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीलाहवाली या बहानेबाजी नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रीत भूमि का कब्जा इस अनुबन्ध पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 060343

02 AUG 2011

प्रस्तावित है। यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 22,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 060344

02 AUG 2011

0.310 है0 की मालियत रु0 6,97,500/- होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 1,54,900/-जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

रामशंकर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 060345

02 AUG 2011

20

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

रामशंकर

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

2,210,216.00	698,000.00	2,205,216.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री रामशंकर
पुत्र श्री भगवानदीन
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी बरौना पo/बिजनौर लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/8/2011 समय 5:44PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
12/8/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री रामशंकर
पुत्र श्री भगवानदीन
पेशा कृषि
निवासी बरौना पo/बिजनौर लखनऊ

क्रेता
श्री गया प्रसाद
पुत्र श्री मगनी
पेशा कृषि
निवासी पुरे निरो डिल्कौली रायबरेली

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री पंकज झा
पुत्र श्री रामनरेश झा
पेशा व्यापार
निवासी लालबागलखनऊ
व श्री रामजी
पुत्र श्री श्रीकृष्ण
पेशा व्यापार
निवासी सौनई काजीहरा लखनऊ
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी. के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
12/8/2011

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. प्रथम पक्ष को अग्रिम धनराशि 20,55,216/– द्वारा चेक संख्या–309252 दिनांकित 12.08.2011 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।
2. प्रथम पक्ष को रू0 1,50,000/– नगद द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुये। जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष को अग्रिम मूल्य रू0 22,05,216/– (रू0 बाईस लाख पाँच हजार दो सौ सोलह मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

लखनऊ:
दिनांक : 12.08.2011
गवाह :

1. PANKAJ JHA S/O
RAM NARESH JHA
LALBAGH L.K.O

प्रथम पक्ष

2. [illegible]

द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता

(लवलेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(वेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

विक्रेता

Registration No.: 12124 Year : 2,011 Book No. : 1

0101 रामशंकर

जगदम्बादीन

[illegible]

कृषि

ग्राम - बरैना

खसरा सं० - 139, 140मि, 141

रकबा - .063है. .0190है. .057है. कुल रकबा

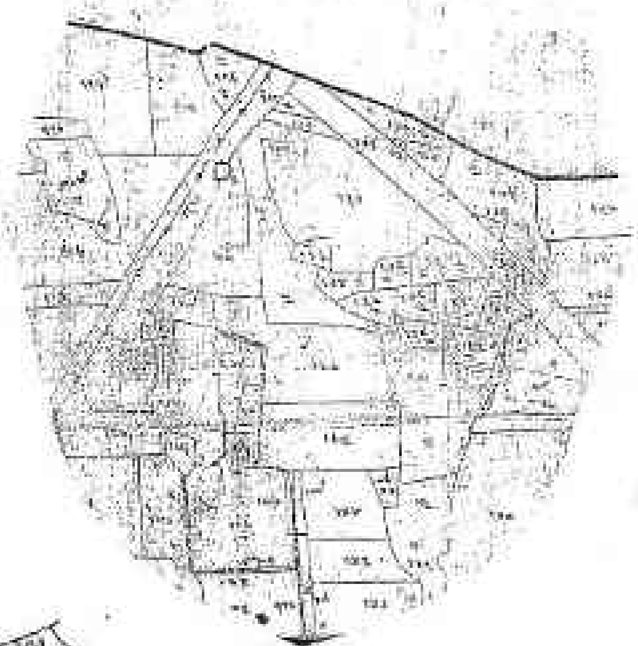

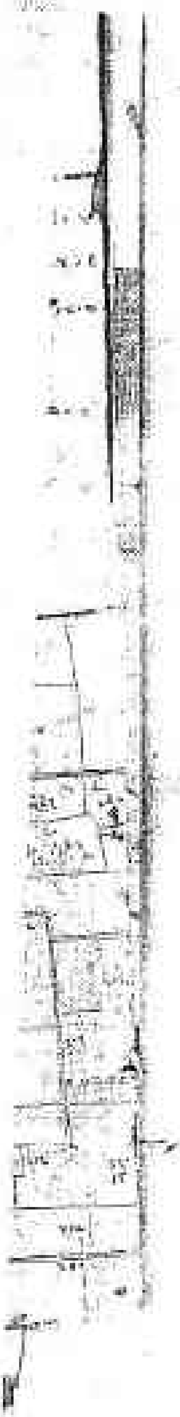

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

Registration No.: 12124 | Year: 2,011 | Book No.: 1

0201 गया प्रसाद

भारती

पु. स्व. किरोली रायबरेली

कृषि

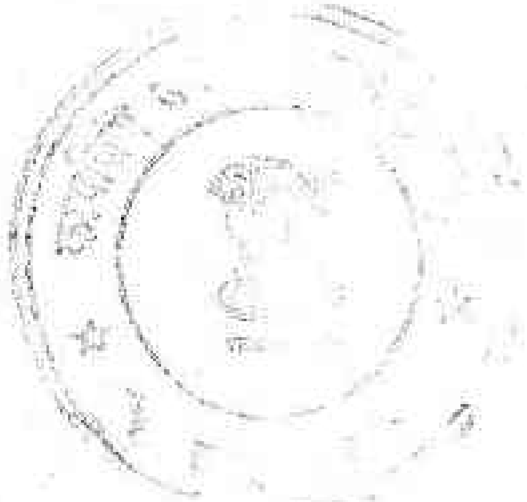

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रथम पक्ष का नाम व पता:– रामशंकर पुत्र भगवानदीन निवासी– बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

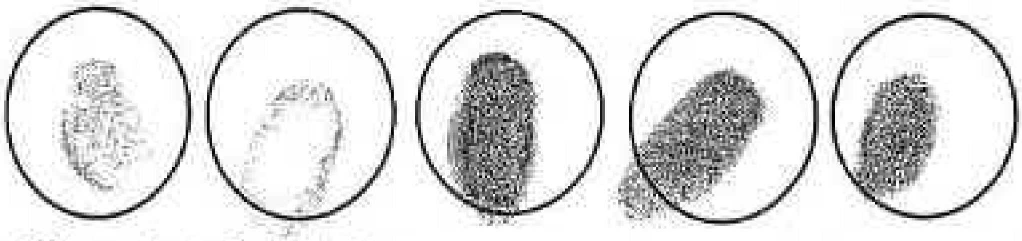

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

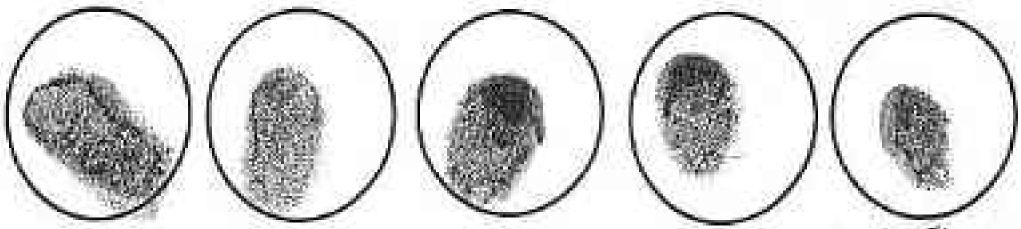

रामशंकर

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का नाम व पता:– गयाप्रसाद पुत्र भगानी निवासी ग्राम– पूरे निधी, किलौली, जिला रायबरेली।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

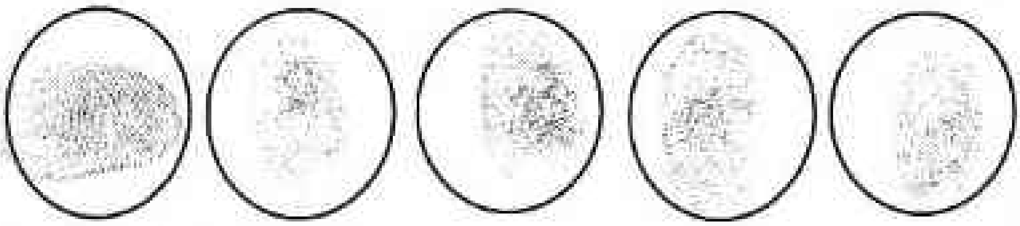

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

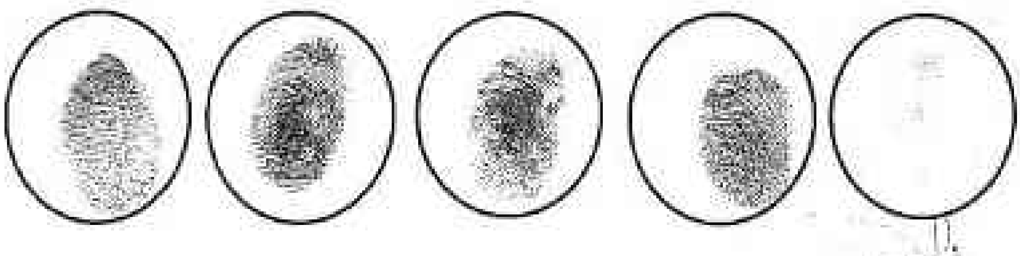

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

आज दिनांक 12/08/2011 को

बही सं 1 जिल्द सं 13115

पृष्ठ सं 43 से 88 पर क्रमांक 12124

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

12/8/2011